दिनांक 08.05.2023
प्रेस विज्ञप्ति 08/2023

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

<u>जनपद हापुड़/थाना बाबूगढ</u>

- **लूट की घटना का अनावरण**
- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 66 हजार रूपये नगद**
- **03 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 08.05.2023 को थाना बाबूगढ़ व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मुजफ्फरा बागडपुर चौराहा के पास से 03 अभियुक्तों 1—मोहित कुमार 2—प्रियांशु 3—कपिल को गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट के 66 हजार रूपये नगद, 03 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस, घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 29.04.2023 को थाना बाबूगढ़ क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना बाबूगढ़ पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया लूट की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना बाबूगढ़ पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—मोहित कुमार निवासी सिसौली थाना मुण्डाली जनपद मेरठ।

2—प्रियांशु निवासी सिसौली थाना मुण्डाली जनपद मेरठ।

3—कपिल निवासी मानपुर थाना भावनपुर जनपद मेरठ।

बरामदगी

1—लूट के 66 हजार रूपये नगद।

2—03 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

3—घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल।

जनपद मथुरा/थाना सुरीर

- **पुलिस कार्यवाही में 01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **02 मोबाइल फोन**
- **01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर)**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 07.05.2023 की रात्रि थाना सुरीर, मांट व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर करारी नहर पटरी पर जंगल ग्राम व्योही में पुलिस कार्यवाही से अभियुक्त मोहित घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। एक अन्य अभियुक्त मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 02 मोबाइल फोन, 01 मोटर साइकिल(बिना नम्बर), 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद अलीगढ़ के विभिन्न थानों पर लूट, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 09 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना सुरीर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—मोहित निवासी असनेहता जहांगीराबाद थाना लोधा जनपद अलीगढ़।

बरादमगी

1–02 मोबाइल फोन।

2–01 मोटर साइकिल(बिना नम्बर)।

3–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय खोखा कारतूस।

जनपद हमीरपुर/थाना जरिया

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **चोरी की 23 बैटरी**
- **01 ई–रिक्शा बरामद**

दिनॉकः 08.05.2023 को थाना जरिया पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर छिबौली तिराहे से राठ रोड से 03 अभियुक्तों 1–रोहित 2–रोहित पुत्र विश्वनाथ 3–अशोक कुमार को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 23 बैटरी (इन्डस टावर की), 01 ई–रिक्शा बरामद हुयी।

उल्लेखनीय है कि दिनॉकः 04/05.05.2023 की रात्रि अज्ञात चोरों द्वारा टावर से बैटरी चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना जरिया पर धारा 379 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद बैटरी उक्त घटना से सम्बन्धित हैं।

इस सम्बन्ध में थाना जरिया पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–रोहित निवासी मोहल्ला मांझखोर कस्बा सरीला थाना जरिया जनपद हमीरपुर।

2–रोहित पुत्र विश्वनाथ निवासी कांशीराम कालोनी सरीला थाना जरिया जनपद हमीरपुर।

3–अशोक कुमार निवासी तमराईलेन चौबट्टा कस्बा राठ थाना राठ जनपद हमीरपुर।

बरामदगी

1–चोरी की 23 बैटरी।

2–01 ई–रिक्शा।

जनपद अलीगढ़/थाना टप्पल

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 02 ईको कार**
- **फर्जी नम्बर प्लेट**
- **चोरी करने के उपकरण (मस्टर चाबी आदि) बरामद**

दिनांक 08.05.2023 को थाना टप्पल पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर टप्पल इंटरचेंज के पास से 03 अभियुक्तों 1–जीतू उर्फ जितेन्द्र 2–अरविन्द 3–बबलू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 02 ईको कार, फर्जी नम्बर प्लेट, चोरी करने के उपकरण (मस्टर चाबी आदि) बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिनके विरूद्ध जनपद अलीगढ़ के थाना टप्पल पर चोरी, धोखाधड़ी आदि के 04–04 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद ईको कार चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना टप्पल पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–जीतू उर्फ जितेन्द्र निवासी खेडिया बुजुर्ग थाना खैर जनपद अलीगढ़।

2–अरविन्द निवासी खेडिया बुजुर्ग थाना खैर जनपद अलीगढ़।

3–बबलू निवासी नेगपुर थाना जहाँगीरपुर जनपद बुलन्दशहर।

बरामदगी

1–चोरी की 02 ईको कार।

2–फर्जी नम्बर प्लेट।

3–चोरी करने के उपकरण (मस्टर चाबी आदि)।

- **<u>जनपद जौनपुर/थाना सिकरारा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद जौनपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश अनन्य न्यायालय (पॉस्को एक्ट) जनपद जौनपुर द्वारा थाना सिकरारा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 5/6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त नन्दलाल को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 20 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बाराबंकी/थाना जैदपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बाराबंकी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश (एफ0टी0सी0) कोर्ट संख्या–36 जनपद बाराबंकी द्वारा थाना जैदपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 498ए/304बी भादवि व 4 डीपी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त विक्रम को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 10 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

———

दिनांक 08.05.2023
प्रेस विज्ञप्ति 09/2023

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

<u>अभियुक्त बदन सिंह उर्फ बद्दो की गिरफ्तारी हेतु पुरस्कार राशि रूपये 2.50 लाख से रूपये 05 लाख किये जाने हेतु उ0प्र0 शासन को प्रस्ताव प्रेषित</u>

अभियुक्त बदन सिंह उर्फ बद्दो पुत्र चरण सिंह निवासी ग्राम बेरीपुरा थाना टीपीनगर जनपद मेरठ की गिरफ्तारी हेतु पूर्व में मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 स्तर से पुरस्कार राशि रूपये 2.50 लाख की घोषणा की गयी थी।

उक्त के क्रम में अभियुक्त बदन सिंह उर्फ बद्दो की गिरफ्तारी हेतु घोषित पुरस्कार राशि रूपये 2.50 लाख को रूपये 05 लाख किये जाने हेतु उत्तर प्रदेश शासन को प्रस्ताव मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 स्तर से प्रेषित किया गया।